

22-5
14
17/2/14

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
28-8-14

28-8-14

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
27-11-14

27-11-14

उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी
राजकार्य से बाहर है / अवकाश
है / पद रिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक...12.3.15...
को पेश हो।

रीडर

सहायक कलक्टर माण्डल

12-3-15

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
16-7-15

3-6-15

6/

पत्रावली कोर्ट केम्प बलगौर पर पेश
वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की
एक तरफा बहरन सुनी गई कि ग्राम
बलगौर के वस्ति क्षेत्र आबादी में वादीगण
जिनमें शतावारी आदिवासी की कुल 300
रिक्त है जिसपर वादीगण का बिज डेयर
द्वारा वारत वाले आ रहे हैं जिसके अन्त
2063 से 2066 की जमाकी में शतावारी
1239 दर्ज है जिसके अन्तर्गत नम्बर
3045 व 3047 दर्ज है बाइसे विहित
ग्राम के उत्तर दिशा में आगे 3043 की
ग्राम रिक्त है जो प्रतिवादी की
जमा पर दर्ज है वादीगण के वाक्या
शुद्ध ग्राम पर प्रतिवादी का अकर रस्ता

जीने खोद कर नीचे कर दी गई है किरोएके
बाद प्रति म 0 ने व्याप कर कर दिया गया है
प्रतिवादी बुन वाम बला कर अतिशयमा कर
सकता है विवादिन आराजो कर प्रतिवादी
के विरुद्ध रूपायी निषेधाज्ञा दिव्ये परमाइ
जावे।

वकील वादी की बहस सुनी गई 24/5
का अवलोकन किया गया।

अतः आदेश दिया जाता है कि 24/5
बागौर के आ.न 3045 व 3047 पर प्रतिवादी
श्री 01 बादीगजो को उक्त आराजिपात व
उपयोग, उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नह
करे ना करावे ना अतिशयमा करे। 24/5
निषेधाज्ञा जारी कि जाती है।

आज पह निर्णय सुने पापलप में सुनाया
गया।

पञ्जाबली कशाल शुमार ले कर नमो
अकाम हो हु

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल